सिविल सोसायटी ने सूचना का अधिकार कानून में संशोधन पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को ख़ारिज करने कि मांग कि है

नयी दिल्ली दिसम्बर 30, 2013 : सूचना के अधिकार अधिनियम से राजनितिक दलों को बाहर रखने के लिए संसद द्वारा लाये गए संशोधन को संसदीय समिति ने स्वीकार कर लिया है. सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरोध के बाद भी इस समिति को संशोधन की समीक्षा का कार्य सौंपा गया.

केंद्रीय सूचना आयोग ने जून 3,2013 के ऐतिहासिक फैसले में यह कहा था की राष्ट्रीय राजनीतिक दल (कांग्रेस, भाजपा, सी.पी.एम., सी.पी.आई, एन.सी.पी, तथा बसपा) सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(h) के तहत लोक प्राधिकरण हैं. सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम से राजनीतिक दलों को बाहर रखने हेतु संशोधन लाया था.

हालाँकि जनता के अत्यधिक दबाव के कारण लोकसभा ने इस विधेयक को संसदीय समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया . समिति ने सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए सुझाव मांगे थे. ADR के साथ-साथ NCPRI, MKSS, सुभाष चन्द्र अग्रवाल तथा शैलेश गाँधी ने अपने अपने सुझाव समिति को दिए. सभी ने इस संशोधन का पुरजोर विरोध किया.

संशोधन को संसदीय समिति द्वारा दी गयी सहमति को नकारते हुए प्रो. जगदीप छोकर (ADR के संस्थापक सदस्य तथा ट्रस्टी) ने कहा “समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोई भी तर्कसंगत विचार प्रस्तुत नहीं किये हैं. राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार से बाहर रखना असंवैधानिक है. यह कहना की पारदर्शिता राज्य की इकाईओं के लिए सही है, किन्तु राजनीतिक दलों के लिए नहीं जोकि राज्य के सभी अंगो को नियंत्रित करते हैं, तर्कहीन है”.

इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हुए पूर्व केंद्रीय सूचना अधिकारी शैलेश गाँधी ने कहा, “ऐसा लगता है की संसदीय समिति ने आर टी आई संशोधन के सम्बन्ध में सामाजिक संस्थाओं के विरोध को बिलकुल ध्यान में नहीं रखा. रिपोर्ट में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया जिससे लगे की समिति ने हमारे विरोधों को कही भी शामिल किया है. स्वाभाविक है की नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विवेचन से हमारे सुझावों को अकारण ठुकरा दिया गया.”

श्री सुभाष अग्रवाल ने कहा की “संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट जिसमे सीआईसी के फैसले को रोकने की सिफारिश की गयी है, उचित नहीं है. समिति के अनुसार विधायिका की यह मंशा ही नहीं थी की राजनीतिक दलों को पारदर्शिता कानून के तहत लाया जाए. कई निकाय ऐसा दावा करते हैं की वे सूचना के अधिकार अधनियम के तहत कवर नहीं हैं, किन्तु इन निकायों को सूचना आयोगों के द्वारा लोक प्राधिकरण घोषित किया गया है और यहाँ तक की इसका उच्च नयालयों द्वारा समर्थन भी किया गया है. इनमे से किसी भी निकाय को सूचना के अधिकार के तहत लाने की विधायिका की मंशा नहीं थी. हैरानी की बात है की समिति ने अटॉर्नी जनरल की सलाह को भी खारिज कर दिया है, की सीआईसी के फैसले के विरुद्ध किसी भी विधायी कदम को अदालतों द्वारा खारिज कर दिया जायेगा. यह उचित नहीं होगा की सार्वजनिक हित के हरेक मामले को लागू करने के लिए उच्चतम न्यालय के कीमती समय का प्रयोग करना अनिवार्य हो.”

NCPRI से अंजलि भरद्वाज ने भी संसदीय समिति की स्वीकृति पर सवाल उठाते हुए कहा, “NCPRI ने हमेशा यह कहा है की आर टी आई का प्रस्तावित संशोधन असंवैधानिक है. राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण के रूप में आर टी

आई के अधीन लाया जाना चाहिए. जो लोग कानून बनाते हैं उनका स्वयं उसके बाहर रहना तर्कसंगत नहीं है. हमें लगता है की आर टी आई अधिनियम की धारा 8 के तहत पर्याप्त छूट हैं. कानून को संशोधन की आवश्यकता नहीं है."

सरकार ने अपने संशोधन के फैसले को सही साबित करते हुए कहा की - राजनीतिक दल न तो संविधान द्वारा स्थापित है न ही संसद द्वारा किसी कानून के तहत बनाये गए है.

किसी भी संस्था अथवा इकाई को सूचना के अधिकार अधनियम के तहत लोक प्राधिकरण कहलाने के लिए उसका संविधान अथवा संसदीय कानून द्वारा घठित होना आवश्यक नहीं है. सूचना के अधिकार अधनियम की धारा 2(h) के तहत, एक ऐसी संस्था जो की 'प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा मूलतः वित्तपोषित है' लोक प्राधिकरण के श्रेणी में आएगी.

सरकार ने यह भी कहा कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ साथ आयकर अधिनियम 1961 में पहले से ऐसे प्रावधान हैं जो राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों की वित्तीय पारदर्शिता निर्धारित करते हैं.

जबकि, ADR द्वारा 6 राष्ट्रीय दलों के आयकर विवरण और चुनाव आयोग में उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के विवरण यह बताता है की 75% से भी ज्यादा पैसे का स्त्रोत अज्ञात है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता.

सरकार द्वारा एक और तर्क ऐसा रखा गया की राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकरण घोषित करने से उनकी कार्य प्रणाली बाधित होगी. राजनीतिक प्रतिद्वंदी आर टी आई उनके खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं.

सरकार द्वारा ऊपर दिए गए तर्क आधारहीन हैं क्योंकि आर टी आई अधिनियम में धारा 8 के रूप में आर टी आई के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रावधान दिए गए हैं, जो सूचना उपलब्ध कराने से छूट देता है.

संसदीय समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग के ६ जून के आदेश को "कानून का स्पष्ट प्रावधान के अशुद्ध अर्थ निकलना" बताया यह गौर किया कि 6 में से एक भी राजनीतिक दल ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को उच्च न्यायिक प्रक्रिया में चुनौती नहीं दी.

हालाँकि, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, जो की केंद्रीय सूचना आयोग के इस फैसले से नाखुश हैं, सही तथा स्थापित तरीका है उच्च न्यायालय में फैसले का विरोध करें. यदि यह 'कानून का स्पष्ट प्रावधान के अशुद्ध अर्थ निकलना' का मामला है तो कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है.

Journalist Helpline: +91-8010394248 adr@adrindia.org	**Prof Jagdeep Chhokar** IIM Ahmedabad (Retd.) Founder Member, National Election Watch & Association for Democratic Reforms +91 9999620944 jchhokar@gmail.com	**Prof Trilochan Sastry** IIM Bangalore Founder Member, National Election Watch & Association for Democratic Reforms +91 9448353285 trilochans@iimb.ernet.in	**Mr. Anil Verma** National Election Watch & Association for Democratic Reforms +91 8826479910 anilverma@adrindia.org	**Mr. Anurag Mittal** National Coordinator National Election Watch & Association for Democratic Reforms +91 9811108914 anurag@adrindia.org